छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 785/2007</u>

श्री सोमप्रकाश गिरि,
पूर्व विधायक–कुरूद,
मु0पो0 मरौद,
जिला–धमतरी (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय रायपुर विकास
प्राधिकरण, रायपुर (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: <u>आदेश</u> ::
(दिनांक 31 मई 2008)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री सोमप्रकाश गिरि ने प्रतिअपीलार्थी जन सूचना अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर के समक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिये दिनांक 17–05–2007 को आवेदन प्रस्तुत किया था। उनके द्वारा जानकारी प्राप्त नहीं होने पर इनके द्वारा दिनांक 29–06–2007 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। अपील में भी संतोषजनक निराकरण नहीं होने के कारण उनके द्वारा असंतुष्ट होकर यह द्वितीय अपील आयोग के समक्ष दिनांक 10–08–2007 को प्रस्तुत की गयी।

2/ प्रकरण में रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गयी। रायपुर विकास प्राधिकरण की ओर से उत्तर में यह बताया गया कि प्राधिकरण की देवेन्द्र नगर योजना क्रमांक–32 में श्री अरूण कुमार लुथरा द्वारा बिना अनुमति किये गये कारखाने के निर्माण को हटाने के संबंध में पूर्व में न्यायालय में प्रकरण था और न्यायालय का यथास्थिति बनाने के आदेश थे। वादी द्वारा वाद वापिस लेने और स्थगन आदेश रद्द होने के कारण अब प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी और इस संबंध में कोई भी दस्तावेज की छायाप्रति दिया जाना अभी संभव नहीं है। प्रथम अपील में भी यह बात स्पष्ट की जा चुकी है। इस संबंध में अपीलार्थी का यह कहना है कि फाईल में क्या–क्या कार्यवाही हुई है, इसकी जानकारी उन्हें दी जानी चाहिये थी, जो अभी तक नहीं दी गई है और अपील के बाद भी उन्हें भ्रामक जवाब दिया गया है। प्राधिकरण का उत्तर संतोषप्रद नहीं है, क्योंकि प्राधिकरण द्वारा ही न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण अतिक्रमण नहीं हटाया जाना बताया गया और अब जब स्थगन आदेश रद्द हो गया है, तब उनके द्वारा अपीलार्थी को स्पष्ट जानकारी न देकर

टालमटोल किया जाना प्रतीत होता है। अतः प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में अभी तक आर्डरशीट अथवा नोटशीट में जो–जो कार्यवाही न्यायालय के आदेश के बाद की गई है, उसकी छायाप्रतियाँ 15 दिन के अन्दर अपीलार्थी को निःशुल्क दिये जाने के आदेश दिये जाते हैं और साथ ही अतिक्रमण हटाने के संबंध में प्राधिकरण के नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम में क्या कर्त्तव्य हैं और उसके पालन में उनके द्वारा अभी तक स्थगन आदेश रद्द होने के बाद कार्यवाही क्यों नहीं की गई, इसका भी स्पष्ट कारण अपीलार्थी को बताया जावे और उनके द्वारा अब इस संबंध में 01 माह में आवश्यक निर्णय लिया जाकर अपीलार्थी को उसके अंतिम परिणाम से अवगत कराया जावे। प्रकरण में शास्ति की कार्यवाही किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। किन्तु जानकारी देने में जो विलम्ब हुआ है और उसके कारण आर्थिक/मानसिक क्षति अपीलार्थी को हुई है, उसके लिए धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत प्राधिकरण की ओर से अपीलार्थी को 250/–रुपये (दो सौ पचास रुपये) की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करने के निर्देश भी दिये जाते हैं।

4/ उक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त